

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 32/2024-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि. .... (अ)- वित्त अधिनियम 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

- (1) क्रम सं. 15क के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "1.4%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (2) क्रम सं. 15ख के सामने, स्तंभ (4) में, "प्रविष्टि के स्थान पर, "0.35%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (3) क्रम सं. 15ग के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "0.35%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (4) क्रम सं. 15घ के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "1%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (5) क्रम सं. 15ड के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "0.35%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (6) क्रम सं. 15च के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "1%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (7) क्रम सं. 15छ के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "1%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/03/2024-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: - मूल अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i)

में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 11/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 19 फरवरी, 2024, जिसे सा.का.नि. 116 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।